

11.06.2024

2024/180/D

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

रानीदेवी

बनाम

मन्जू आदि

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 24 | वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
05.06.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 05.07.2024 को पेश हो।</p> <p>म ^</p> <p>वकील वकील ने पार्सना, पत्र मिशाल पेकी पेका करने पर प्रजावकी को पेकी में जिका 01.07.2024 वकील वकील ने सिविल रिफा डि वादीपक उरुकी प्रीपर का शीपनामा होने कारण वाद-पत्र आगे नकी चलाना चाहते हैं। मों पूरा सिविल में वादी ज करवाना चाहते हैं। मों पूरा सिविल में वादी ज में वादीक रिफा जाला है। प्रजावकी नम्बर हे कम की जाकर वाद वकील वकील जाला दाखिल दफातर हो।</p> <p>म ^</p> <p>सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>रानी</p>

11.06.2024

